"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2016— कार्तिक 18, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक 1678/I-4-I/2003. — छ. ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 - अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्‌द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 2003" में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

उक्त विनियम में :-

1. विनियम 17 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

आय पर विचार किए बिना निम्नानुसार वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सेवाएं स्वीकृत की जा सकती हैं :-

(क) अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है;
(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार या बेगार का सताया हुआ है;
(ग) स्त्री या बालक है;
(घ) एक निर्योग्य व्यक्ति, जैसा कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 खण्ड 1 में परिभाषित है -

निर्योग्यताएं से तात्पर्य है कि :-

(1) अन्धत्व;
(2) कमजोर दृष्टि;
(3) कुष्ठ रोग;

(4) श्रवण ह्रास;
(5) चलने संबंधी निर्योग्यता;
(6) मानसिक रूकावट;
(7) मानसिक अस्वस्थता.

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है; या
(च) औद्योगिक कर्मकार है, या
(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 47, 48, 49 एवं 50 के अर्थ में किसी संरक्षण गृह (सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, बालगृह) या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या
(ज) बड़े सार्वजनिक महत्वपूर्ण मामलों में; या
(झ) विशेष मामलों में वे कारण जिनकी वजह से उसे लेखबद्ध किया जाएगा जिसे विधिक सेवा के अन्यथा योग्य होना विचार किया जाता है;
(ञ) थर्ड जेण्डर;
(ट) वरिष्ठ भारतीय नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों;
(ठ) कैंसर व्याधि से पीड़ित व्यक्ति;
(ड) एच. आई. व्ही. से ग्रस्त व्यक्ति.

2. विनियम 32 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

आय पर विचार किए बिना निम्नानुसार वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सेवाएं स्वीकृत की जा सकती हैं :-

(क) अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है;
(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार या बेगार का सताया हुआ है;
(ग) स्त्री या बालक है;
(घ) एक निर्योग्य व्यक्ति, जैसा कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 खण्ड 1 में परिभाषित है -

निर्योग्यताएं से तात्पर्य है कि :-

(1) अन्धत्व;
(2) कमजोर दृष्टि;
(3) कुष्ठ रोग;
(4) श्रवण ह्रास;
(5) चलने संबंधी निर्योग्यता;
(6) मानसिक रूकावट;
(7) मानसिक अस्वस्थता.

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है; या
(च) औद्योगिक कर्मकार है; या
(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 47, 48, 49 एवं 50 के अर्थ में किसी संरक्षण गृह (सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, बालगृह) या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है; या
(ज) बड़े सार्वजनिक महत्वपूर्ण मामलों में; या
(झ) विशेष मामलों में वे कारण जिनकी वजह से उसे लेखबद्ध किया जाएगा जिसे विधिक सेवा के अन्यथा योग्य होना विचार किया जाता है;

(ञ) थर्ड जेण्डर;
(ट) वरिष्ठ भारतीय नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों;
(ठ) केंसर व्याधि से पीड़ित व्यक्ति;
(ड) एच. आई. व्ही. से ग्रस्त व्यक्ति.

3. उपरोक्त विनियम में उपाबद्ध अनुसूची भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 के स्थान पर निम्नानुसार अनुसूची प्रतिस्थापित किया जावे :-

अनुसूची

नियोजित किए गए अधिवक्ता को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा. तथापि यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि निम्नलिखित निर्देश संदेय फीस का अधिकथन करते हैं और समिति या प्राधिकरण को उपयुक्त मामलों में पारिश्रमिक कम कर देने की स्वच्छन्दता होगी.

(अ) उच्च न्यायालय स्तर पर :-

1. सारभूत अभिवचन का प्रारूपण जैसे - रिट याचिका, प्रति शपथपत्र, अपील ज्ञापन, पुनरीक्षण याचिका, उत्तर, रिज्वाईन्डर, प्रत्युत्तर आदि रुपये 1500/-
2. विविध आवेदन पत्रों का प्रारूपण जैसे - स्थगन, जमानत, निर्देश जारी करने बाबत, छूट प्रदान करने इत्यादि संबंधी आवेदन, प्रति आवेदन 500/-, सभी आवेदनों के लिए अधिकतम 1000/-
3. उपस्थिति - रुपये 1000/- प्रति प्रभावी सुनवाई, रुपये 750/- प्रति अप्रभावी सुनवाई, प्रति प्रकरण अधिकतम 10,000/-

(ब) समस्त अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायाधिकरण स्तर पर :-

1. सारभूत अभिवचन का प्रारूपण जैसे - वाद पत्र, वैवाहिक कार्यवाही जैसे - विवाह विच्छेद, भरणपोषण, अभिरक्षा, पुनर्स्थापन इत्यादि, उत्तराधिकार, प्रोबेट, अपील ज्ञापन, लिखित कथन, उत्तर, रिज्वाईन्डर, प्रत्युत्तर आदि रुपये 1200/-
2. विविध आवेदन पत्रों का प्रारूपण जैसे - स्थगन, जमानत, निर्देश जारी करने बाबत, छूट प्रदान करने इत्यादि संबंधी आवेदन, प्रति आवेदन 400/-, सभी आवेदनों के लिए अधिकतम 800/-
3. उपस्थिति - रुपये 750/- प्रति प्रभावी सुनवाई, रुपये 500/- प्रति अप्रभावी सुनवाई, प्रति प्रकरण अधिकतम 7500/-.

No. 1678/I-4-I/2003. — In exercise of the powers conferred by Section 29 (a) of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the State Authority hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh State Legal Services Authority Regulation, 2003, namely :-

AMENDMENT

In the said Regulation :-

1. In place of Regulation 17 follwing shall be substituted -

17. Legal Services may grant to any other person irrespective of his income :-

(a) a member of Seheduled Caste or Scheduled Tribe ;
(b) a victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution;
(c) a woman or a child;
(d) a person with disability as defined in clause (i) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995;

Disability means :-

(i) blindness;
(ii) low vision;
(iii) leprosy-cured;
(iv) hearing impairment;

(v) locomotors disability;
(vi) mental retardation;
(vii) mental illness.

(e) a person, under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or
(f) an industrial workman; or
(g) a person in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of Section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, or in a Juvenile Home (Observation Homes, Special Homes, Place of Safety, Children Homes) within the meaning of Section 47, 48, 49, 50 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 or in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of Section 2 of the Mental Health Act, 1987;
(h) in cases of great public importance; or
(i) in special case, reasons for which to be recorded in writing which is considered otherwise deserving of legal service;
(j) Transgender people;
(k) a Senior Citizen of India who has attained the age of 60 years or above;
(l) Cancer Patient;
(m) H. I. V. Patient.

2. In place of Regulation 32 follwing shall be substituted -

32. Legal Services may grant to any other person irrespective of his income :-

(a) a member of Seheduled Caste or Scheduled Tribe ;
(b) a victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution;
(c) a woman or a child;
(d) a person with disability as defined in clause (i) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995;

Disability means :-

(i) blindness;
(ii) low vision;
(iii) leprosy-cured;
(iv) hearing impairment;
(v) locomotors disability;
(vi) mental retardation;
(vii) mental illness.

(e) a person, under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or
(f) an industrial workman; or
(g) a person in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of Section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, or in a Juvenile Home (Observation Homes, Specoal Homes, Place of Safety, Children Homes) within the meaning of Section 47, 48, 49, 50 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 or in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of Section 2 of the Mental Health Act, 1987;
(h) in cases of great public importance; or
(i) in special case, reasons for which to be recorded in writing which is considered otherwise deserving of legal service.
(j) Transgender People.
(k) a Senior Citizen of India who has attained the age of 60 years or above;
(l) Cancer Patient;
(m) H. I. V. Patient.

3. In place of Schedule part-1, part-2 & part-3 appended to the said regulation following scheduled shall be substituted :-

SCHEDULE

Advocate engaged may be paid according to the following Schedule, However, it is clarified that the following directions lay-down the maximum fee payable and the committee or authority shall be liberty to reduce the remuneration in suitable cases.

A. High Court

i. Drafting of substantive pleading such as Writ Petition, Counter Affidavit, Memo of Appeal, Revision, Reply, Rejoinder, Replication-Rs. 1,500/-

ii. Drafting of Miscellaneous applications such as stay, bail, direction, exemption etc. - Rs. 500/- per application subject to maximum of Rs. 1,000/- for all applications.

iii. Appearance - Rs. 1000/- per effective hearing and Rs. 750/- for non-effective hearing subject to maximum of Rs. 10,000/- (per case).

B. Subordinate Courts at all levels including Tribunals

i. Drafting of substantive pleading such as Suit, Matrimonial Proceedings such as Divorce, Maintenance, Custody, Restitution etc., Succession, Probate, Memo of Appeal, Revision, Written Statement, Reply, Rejoinder, Replication etc. - Rs. 1,200/-

ii. Drafting of Miscellaneous applications such as stay, bail, direction, exemption etc. - Rs. 400/- per application subject to maximum of Rs. 800/- for all applications.

iii. Appearance - Rs. 750/- per effective hearing and Rs. 500/- for non-effective hearing subject to a maximum of Rs. 7,500/- (per case).

आदेश

हस्ता./-
(रजनीश श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.